

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Paper Laid on the table of the House by Ministers/Members.**माननीय अध्यक्ष:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर-2, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु के प्रथम परिनियम जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.724(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, कुडली, हरियाणा के प्रथम परिनियम जो 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 8030/17/22]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
 - (दो) भारी उद्योग मंत्रालय तथा ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
 - (तीन) भारी उद्योग मंत्रालय तथा एन्ड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 8031/17/22]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
 - (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8032/17/22]

- (ख) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- [Placed in Library, See No. LT 8033/17/22]
- (ग) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- [Placed in Library, See No. LT 8034/17/22]
- (घ) (एक) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- [Placed in Library, See No. LT 8035/17/22]
- (ङ) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- [Placed in Library, See No. LT 8036/17/22]
- (च) (एक) एन्ड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) एन्ड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 8037/17/22]
- (4) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- [Placed in Library, See No. LT 8038/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 21(4) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, for the year 2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8039/17/22]

- (3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working of the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year ending 31st December, 2021, under sub-section (4) of Section 15A of the Protection of Civil Rights Act, 1955.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 8040/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (एनिमल ट्रांसपोर्ट), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8041/17/22]

- (2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (मेकैनिक मोटर व्हीकल) तकनीकी काडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 जो 16 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8042/17/22]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8043/17/22]

- (5) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 4670 (अ) से का.आ. 4679(अ), जो 4 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में इम्तियाज अहमद कंडू @ सज्जाद @ फयाज सोपोर, शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची, बासित अहमद रेशी, हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जद्व @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शानी @ बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी, इरशाद अहमद @ इदरीस, रफीक नाई @ सुल्तान, जफर इकबाल @ सलीम @ जमालुद्दीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान, बिलाल अहमद बेग @ बाबर, शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबी नुसरत @ फयाज अहमद डार के नामों को क्रमशः जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8044/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (राजस्व विभाग- अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2022 का संख्यांक 19) – कस्टम बाउंडेड वेयर हाऊसेज एण्ड फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स के कार्यकरण के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा ।
- (ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना और नौसेना के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2022 का संख्यांक 20) ।
- (iii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालयों/विभागों (अनुपालन लेखापरीक्षा) के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2022 का संख्यांक 21) ।
- (iv) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2022 का संख्यांक 24) - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां ।
- (v) 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2022 का संख्यांक 26) ।
- (vi) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुपालन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 32) ।

[Placed in Library, See No. LT 8045/17/22]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (i) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे (खंड-I) ।
- (ii) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वित्त लेखे (खंड-II) ।
- (iii) वर्ष 2021-2022 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार का विनियोग लेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 8046/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (i) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण)(पाँचवाँ) संशोधन आदेश, 2022 जो 30 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4638(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (ii) का.आ. 4496(अ) जो 23 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारत में निर्यात किए गए उर्वरकों के विनिर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है ।
- (iii) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण)(चौथा संशोधन) आदेश, 2022 जो 27 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4557(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (iv) का.आ. 4252(अ) जो 12 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) आदेश, 1985 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के प्रयोजनार्थ विशेष आदेश के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 8047/17/22]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (i) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2022 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3456(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

- (ii) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3777(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (iii) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2022 जो 26 सितंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4551(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (iv) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2022 जो 13 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4871(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (v) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2022 जो 7 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5167(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (vi) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2022 जो 21 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5401(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 8048/17/22]

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (i) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।
 - (ii) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8049/17/22]

- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8050/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।
 - (दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8051/17/22]

- (2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3755 (अ), जो 10 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि गोवा और त्रिपुरा की स्थापना राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8052/17/22]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) कंगचुप एरिया ट्राइबल वुमेन सोसाइटी, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 (दो) कंगचुप एरिया ट्राइबल वुमेन सोसाइटी, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8053/17/22]

- (3)(एक) पीपुल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) पीपुल विद हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8054/17/22]

- (4)(एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8055/17/22]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
 (दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 8056/17/22]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 8057/17/22]

- (7) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8058/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND
 MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN):**

Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society India, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society India, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8059/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8060/17/22]

-